उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं0–10

उपस्थित– माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)।

निर्देश याचिका संख्या–1675/2024

विजय बहादुर सिंह, आयु लगभग 56 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री लल्लन सिंह, निवासी ग्राम–पचाई, पोस्ट–झक्कनहीं, थाना–राजा का तालाब, जिला–वाराणसी।

याची।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0 प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़।
3. पुलिस अधीक्षक, बलिया।

प्रतिपक्षीगण।

याची के विद्वान् अधिवक्ता–श्री महताब अहमद फरीदी।
प्रतिपक्षीगण की ओर से–विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय
(द्वारा माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)।

यह निर्देश याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रतिपक्षी संख्या–3 द्वारा पारित परिनिन्दा प्रविष्टि से संबंधित दण्डादेश दिनांक–22.10.2012 (संलग्नक–6) एवं प्रतिपक्षी संख्या–2 द्वारा पारित अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांक–09.07.2024 (संलग्नक–9) को निरस्त करने तथा उसे निलम्बन काल के शेष वेतन भत्ता का भुगतान एवं समस्त पारिणामिक सेवा लाभ दिलाये जाने के उद्देश्य से योजित की गई है।

2. संक्षेप में याचिकाकर्ता के अनुसार उसकी नियुक्ति पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर दिनांक–13.02.1988 को हुयी थी। याची को माह सितम्बर, 2022 के आदेश द्वारा वर्ष–2018 से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी, जिस पद पर याची वर्तमान में रिजर्व पुलिस लाईन, आजमगढ़ में कार्यरत् है। याची पर यह आरोप है कि जब वह दिनांक–11.09.2012 को थाना दोकटी जनपद बलिया में

नियुक्त था तो उसके द्वारा दिनांक–11.09.2012 को समय 22:30 बजे थाना दोकटी परिसर में काफी तेज आवाज में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, थानाध्यक्ष के मना करने पर और उत्तेजित होकर अपशब्द बोलने, थाना का वातावरण खराब करने, कार्य सरकार को मनमाने ढंग से करने, आदेश निर्देश का पालन न करने के संबंध में थानाध्यक्ष दोकटी ने उसके विरूद्ध आख्या दी। जिसकी प्रारम्भिक जांच क्षेत्राधिकारी बैरिया से करायी गयी। क्षेत्राधिकारी बैरिया ने अपनी जांच आख्या दिनांकित–03.10.2012 द्वारा याची को थानाध्यक्ष के साथ ऊंची आवाज में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए थाना का वातावरण खराब करने तथा अनुशासनहीनता बरतने का दोषी पाया। याची का यह कृत्य अपने कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक होने के कारण याची को कारण बताओ नोटिस दिनांक–05.10.2012 (संलग्नक–4) पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा निर्गत् की गयी और उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति याची द्वारा दिनांक–06.10.2012 को प्राप्त की गयी, जिसके संबंध में याची द्वारा अपना स्पष्टीकरण पुलिस अधीक्षक, बलिया के समक्ष दिनांक–20.10.2012 को प्रस्तुत किया गया। याची का कथन है कि उसके स्पष्टीकरण पर बिना कोई विचार किये ही पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा अपने आदेश दिनांक–22.10.2012 (संलग्नक–6) द्वारा उसे परिनिन्दा लेख के दण्ड से दण्डित कर दिया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध उसके द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो अपीलीय आदेश दिनांक–09.07.2024 (संलग्नक–9) द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों पर बिना विचार किये ही निरस्त कर दी गयी। जिसके कारण याची द्वारा यह याचिका प्रस्तुत की गयी। याची द्वारा अपनी याचिका में यह भी कहा गया कि उसे इसी प्रकरण में आदेश दिनांक–13.09.2012 (संलग्नक–1) द्वारा निलंबित किया गया और बाद में आदेश दिनांक–05.10.2012 (संलग्नक–2) द्वारा बहाल कर दिया गया, परन्तु उसे निलम्बन काल के शेष वेतन भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है।

3. प्रतिपक्षीगण की ओर से प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया कि जब याची दिनांक–11.09.2012 को थाना दोकटी जनपद बलिया में नियुक्त था तो उसके द्वारा दिनांक–11.09.2012 को समय 22:30 बजे थाना दोकटी परिसर में काफी तेज आवाज में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, थानाध्यक्ष के मना करने पर और उत्तेजित होकर अपशब्द बोलने, थाना का वातावरण खराब करने, कार्य सरकार को मनमाने ढंग से करने, आदेश निर्देश का पालन न करने के संबंध में थानाध्यक्ष दोकटी ने आख्या दी। जिसकी प्रारम्भिक

जांच क्षेत्राधिकारी बैरिया से करायी गयी। क्षेत्राधिकारी बैरिया ने अपनी जांच आख्या दिनांकित–03.10.2012 द्वारा याची को थानाध्यक्ष के साथ ऊंची आवाज में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए थाना का वातावरण खराब करने तथा अनुशासनहीनता बरतने का दोषी पाया गया। याची का यह कृत्य अपने कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक होने के कारण याची को **उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियावमली, 1991** के नियम–14 (2) के सपठित नियम–4(1)ख(चार) के अन्तर्गत् परिनिन्दा लेख के दण्ड से दंडित किये जाने का दण्ड प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक–05.10.2012 (संलग्नक–4) पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा निर्गत् की गयी और उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति याची द्वारा दिनांक–06.10.2012 को प्राप्त की गयी, जिसके संबंध याची द्वारा अपना स्पष्टीकरण पुलिस अधीक्षक, बलिया के समक्ष दिनांक–20.10.2012 को प्रस्तुत किया। याची के स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त दण्डादेश दिनांक–22.10. 2012 पारित किया गया, जो विधिक एवं नियमानुसार है। याची द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी उसमें भी उठाये गये बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त अपीलीय आदेश दिनांक–09.07.2024 द्वारा अपील निरस्त कर दी गयी, जो विधिक एवं नियमानुसार है। अतः इन आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अन्त में यह भी कहा गया कि याची द्वारा निराधार एवं बलहीन तथ्यों पर यह याचिका योजित की गयी है जो सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है।

4. याची की ओर से प्रतिउत्तरशपथपत्र दाखिल किया गया जिसमें प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन में किये गये कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी।

5. मैंने याची के विद्वान् अधिवक्ता श्री महताब अहमद फरीदी तथा प्रतिपक्षीगण की ओर से विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया।

6. याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याची द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण पर बिना कोई विचार किए प्रतिपक्षीगण द्वारा दण्डादेश पारित किया गया है, जो सकारण, मुखरित एवं विधिसम्मत् नहीं है। जबकि प्रतिपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया कि याची को दोषी पाते हुए कारण बताओ नोटिस निर्गत् की गयी जिसका स्पष्टीकरण याची द्वारा प्रस्तुत किया गया,

जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त सकारण एवं मुखरित दण्डादेश पारित किया गया, जिसमें कोई अनियमितता नहीं है।

7. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची के विरूद्ध दण्डादेश दिनांक–22.10.2012 को पारित किया गया, जिसके विरूद्ध याची द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ के समक्ष अपील दिनांक–05.11.2012 को प्रस्तुत की गयी, जो अपीलीय आदेश दिनांक–09.07.2024 द्वारा निरस्त की गयी। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षीगण द्वारा याची की अपील लगभग 12 वर्ष बाद निस्तारित की गयी। किसी भी अपील का 12 वर्षों तक लम्बित रहना निःसंदेह ही अपीलकर्ता के साथ मानसिक क्रूरता है, अपील लम्बन अवधि में याची जिस मानसिक वेदना से गुजरा होगा, उसे एक विवेकशील प्रार्थी के स्तर से आसानी से समझा और महसूस किया जा सकता है। इस वेदना और संत्रास का उत्तरदायित्व एक मात्र अपीलीय प्राधिकारी और लाल फीता शाही पर है।

8. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में याची पर लगाये गये आरोप के संबंध में याची को परिनिन्दा लेख के दण्ड से दंडित किये जाने का दण्ड प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक–05.10.2012 (संलग्नक–4) पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा निर्गत् की गयी और उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति याची द्वारा दिनांक–06. 10.2012 को प्राप्त की गयी, जिसके संबंध याची द्वारा अपना स्पष्टीकरण पुलिस अधीक्षक, बलिया के समक्ष दिनांक–20.10.2012 को प्रस्तुत किया, जिसमें याची द्वारा अपनी निर्दोषिता के संबंध में विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए अपने स्पष्टीकरण (संलग्नक–5) के तथ्यात्मक आधार के प्रस्तर–13 में यह भी कहा गया कि–

> **''13. यह कि अभी प्रार्थी व का0 नरेन्द्र कुमार यादव के बीच बातचीत चल रही थी कि श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय श्री कैलाश नाथ यादव अपने आवास से बाहर निकले और प्रार्थी के नजदीक आकर चिल्लाते हुए कहने लगे कि कार्यलेख तुम्हें ही करना है तथा कमीना, भंगी, हरामखोर, नालायक जैसे शब्दों को कहने लगे जिस पर प्रार्थी नौकरी करने की बेबसी पर रोने लगा। इस पर उ0नि0 लाल बहादुर यादव द्वारा थानाध्यक्ष महोदय से प्रार्थी को गाली देने पर एतराज किया गया और कहा गया कि आप द्वारा प्रतिदिन प्रार्थी को प्रताड़ित किया जा रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। हम सभी आपके मातहत कर्मचारी हैं आप अपने कमरे में जाएं मैं व्यवस्था करके कार्यलेख कराता हूं।''**

परन्तु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची के स्पष्टीकरण में उल्लिखित उक्त किसी भी तथ्य पर सम्यक रूप से विचार न करते हुए और न ही उनको न मानने का कोई कारण दर्शित करते हुए दण्डाधिकारी द्वारा याची के स्पष्टीकरण को असन्तोषजनक पाकर दण्डादेश दिनांक–22.10.2012 पारित कर दिया गया, जो सकारण एवं मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। दण्डादेश में कारणों को अभिलिखित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का महत्वपूर्ण अंग है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **2006, सुप्रीम कोर्ट केसेज (एल0 एण्ड एस0), 679 राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार राज्य व अन्य** में इस संबंध में निम्न व्यवस्था दी गयी है–

> **"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishment, nevertheless Rules 55-A requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to show cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order therefore, cannot be sustained and must be set aside."**

"कारण" और "निष्कर्ष" के विभेद को स्पष्ट करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **यूनियन आफ इंडिया बनाम मोहन लाल कपूर (1993) 2 एस0सी0सी0, 836** में इस संबंध में निम्न व्यवस्था दी गई है–

> **"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusion. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is**

> **purely administrative or quasi-judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached."**

माननीय उच्चतम् न्यायालय ने **(2010) 9 एस0सी0सी0 पेज–510 11 क्रांति एसोसिएशन (पी) लि0 बनाम मसूद अहमद खॉ व अन्य** में यह अवधारित किया है कि विभागीय कार्यवाही अर्द्ध न्यायायिक कार्य होता है तथा प्राकृतिक न्याय की यह मांग है कि सकारण आदेश होना चाहिए और यदि वह सकारण आदेश नहीं है तो इस आधार पर भी दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जी0 वल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा इजूकेशन सोसाइटी 2010(2) सुप्रीम कोर्ट केसेज, 497** में यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि कोई आदेश किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है तो उसे मुखरित होना चाहिए और उसमें संगत कारणों का विधिवत् उल्लेख होना चाहिए–

> **"That the requirement of recording reasons by every quasi-judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communications thereof to the affected persons is one of the recognized facet of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned."**

9. उक्त वर्णित विधिक व्यवस्थाओं के आधार पर आक्षेपित दण्डादेश दिनांक–22.10.2012 सकारण, मुखरित एवं विधिसम्मत् नहीं है, अतः निरस्त होने योग्य है। याची ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलीय प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया किन्तु अपीलीय अधिकारी ने भी याची द्वारा लिये गये आधारों को सकारण एवं मुखरित रूप से निस्तारित न करते हुए अपील दिनांक–09.07.2024 के आदेश से निरस्त कर दी, अतः यह आदेश भी निरस्त होने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक–22.10.2012 (संलग्नक–6) तथा अपीलीय आदेश दिनांक–09.07.2024 (संलग्नक–9) सकारण, मुखरित एवं विधिसम्मत् नहीं हैं, अतः निरस्त किये जाने योग्य हैं। निष्कर्षतः याची की निर्देश याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिपक्षीगण द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक–22.10.2012 (संलग्नक–6) तथा अपीलीय आदेश दिनांक–09.07.2024 (संलग्नक–9) निरस्त किये जाते हैं। याची समस्त परिणामी सेवालाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा। प्रतिपक्षीगण द्वारा इस निर्णय/आदेश का अनुपालन इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर सुनिश्चित् किया जाय।

उभय पक्ष अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–

(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्यायिक)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–

(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्यायिक)

रा0कु0श्री0/नि0स0
दिनांक–28.04.2025